रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 26 मई, 1990/5 ज्येष्ठ, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT UNA, DISTRICT UNA (H. P.)

NOTIFICATION

Una, the 11th May, 1990

No. FDS-UNA-4-58/84 (SC)-2209-60.—In exercise of powers vested in me under clause 3 of the Kerosene Oil (Fixation of Ceiling Price) Order, 1970, I, Rajmani Tripathi, District

Magistrate, Una do hereby fix the following wholesale and retailsale rates of superior kerosene oil at the different places of Una district.

Sr. No.	Name of station	Wholesale rate including sale tax and surcharge per hundred litres.	Retailsale rate including sale tax and surcharge per litre
1.	2	3	4
		Rs. P.	Rs. P.
1.	Rakkar Coloney	217-75	2-28
2.	Jalgran	217-65	2-28
3.	Behdala	217-65	2-28
4.	Chattara	217-65	2-28
5.	Dehlan	217-65	2-28
6.	Mehatpur	217-65	2-24
7.	Madan pur Basoli	217-65	2-28
8.	Bhatoli	217-65	2-28
9.	Rampur	217-65	2-28
10.	Sanoli Mazara	217-65	2-28
11.	Ajouli	217-65	2-28
12.	Santokhgarh	217-65	2-24
13.	Nangran	217-65	2-28
14.	Kuthar	217-65	2-28
15.	Rampur	217-65	2-28
16.	Dhusara	217-65	2-28
17.	Bhiara	217-65	2-28
18.	Charuru	217-65	2-28
19.	Nandpur	217-65	2-28
20.	Panjoa	217-65	2-28
21.	Thathal	217-65	2-28
22.	Kuthari	217-65	2-28

These rates shall come into force with immediate effect. The kerosene oil dealers of places other than mentioned in the schedule shall add actual transportation charges of union rates which ever is less from the nearest specified point to arrive at the sale rate. Every dealer shall prominantly display the price of kerosene oil at or near the entrance of the place of sale. Any dealer selling or attempting to sell the kerosene oil at the rate higher than that of specified price shall be punishable under the Essential Commodities Act.

It shall be ensured by the each dealer that the area allotted to him is kept fully satisfied. The concerned wholesale dealers shall ensure that the distribution of kerosene oil is made strictly. The wholesale dealer of kerosene oil will submit weekly/monthly statement party-wise to the District Food and Supplies Controller, Una. Sale of 18 litres or above of kerosene oil be treated as wholesale transaction. Each transaction shall be rounded off to the nearest five (5) paise.

RAJMANI TRIPATHI,
District Magistrate,
Una (H. P.).

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 10 अप्रैल, 1990

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 182/76.—क्योंकि श्री राम सहाई पुत्र मसदी, निवासी मौजा बलदवाडा, परगना हटली, उप-तहसील बलदवाडा, जिला मण्डी ने अपनी भूमि खेवट नं0 52-मिन, खतौनी नं0 74 मिन, खसरा नं0 999/1 एंव 999/2, किता 2 मुताबिक संलग्न ततीमा मौजा बलदवाडा तादादी 0-00-86 हैक्टेयर, ग्राम पंचायत बलदवाडा को पंचायत घर के निर्माण के लिए इस शर्त पर दी थी कि उक्त ग्राम पंचायत या तो उसे इसके तबादले में उपयुक्त भूमि देगी या दी गई भूमि का मुआवजा देगी;

और क्योंकि न तो ग्राम पंचायत बलदवाडा ने तबादले में कोई भूमि श्री राम सहाई उक्त या उसके वारसान को दी है और न ही उस भूमि के उपलक्ष्य में कोई मुआवजा दिया है;

और क्योंकि उक्त श्री राम सहाई अब फौत हो चुका है और उसकी उपरोक्त वर्णित भूमि अब उसके वारसान श्रीमती कादसी विधवा तथा श्रीमती विद्या देवी पुत्री के नाम मुतकिल हो चुकी है;

और क्योंकि ग्राम सभा बलदवाडा ने अपने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 7-4-70 द्वारा यह माना है कि मतूफी श्री राम सहाई के वारिसों को तबादले में भूमि दी जानी न्यायोचित है और उसी सिलसिला में ग्राम पंचायत बलदवाडा ने अपने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 5-8-88 द्वारा यह पारित किया है कि उक्त तबादले हेतु मतूफी के वारसान को सरकारी भूमि खसरा नं0 1000 वकदर 0-01-97 हैक्टेयर मन्दरजा खेवट नं0 298 मिन, खतौनी नं0 363 मिन वाक्या बलदवाडा जो कि पंचायत विभाग हिमाचल प्रदेश के कब्जा में दर्ज कागजात माल है दिया जाना उचित है और निवेदन किया है कि क्या सरकार भूमि खसरा नं0 1000 उपरोक्त वकदर 0-01-97 हैक्टेयर का तबादला हमरा भूमि खसरा नं0 999/1 एवं 999/2 वकदर 0-00-86 हैक्टेयर करने की स्वीकृति प्रदान कर;

और क्योंकि मतूफी राम सहाई के वारसान के ग्राम सभा बलदवाडा और ग्राम पंचायत बलदवाडा के उक्त प्रस्तावों के अनुरूप उक्त हद तक तबादले में भूमि दिया जाना न्यायोचित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 37 के अन्तर्गत उपरोक्त अंकित भूमि के तबादल के प्रस्ताव को सहर्ष अनुमोदन करते हैं।

शिमला-2, 10 मई, 1990

संख्या पी. सी. एच. एच. ए. (5) 253/77.—क्योंकि, श्री फकीर चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भरेडी, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला पर गबन/अनियमितताओं के निम्न अरोप हैं।

कि, उन्होने पंचायत की मु0 11568.75 रुपये की धनराशि 23-7-86 से अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने तथा पंचायत निधि में जमा न करवाकर उसका दुरुपयोग किया।

कि ग्राम पंचायत ने उन्हे 23-4-86 की क्र0सं0 0601 से 0700 की जो रसीद बुक दी थी उस पर एकत्रित दान राशि का हिसाब किताब पंचायत को न देकर धनराशि का दुरुपयोग किया।

कि, उन्होने प्राथमिक पाठशाला भरेडी तथा कटीन के कार्य हेतु अनाज के रूप में मिले अनुदान के 5665.40 रुपये का कोई हिसाब किताब न दकर राशि का दुरुपयोग किया ।

कि, उक्त प्रधान उपरोक्त कृत्य ग्राम पंचायत की धनराशि को अपनी स्वेच्छा से खर्च/इस्तेमाल करने का प्रतीक है जिस में गबन के तत्व को नकारा नहीं जा सकता । इसके साथ-साथ खण्ड विकास अधिकारी, नारकण्डा द्वारा 20-2-90 को दोषी प्रधान की गबन की गई राशियों को पंचायत फण्ड में जमा करने द्वारा नोटिस भी दिया गया था परन्तु उक्त प्रधान ने कोई भी राशि पंचायत फण्ड में जमा नहीं करवाई ।

और क्योंकि उपरोक्त प्रधान को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1989 को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसका उत्तर उपायुक्त शिमला द्वारा असन्तोषजनक पाया गया तथा जांच के दौरान भी प्रधान के विरुद्ध लगे आरोप पुनः सिद्ध होते हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जहां प्रधान ग्राम पंचायत भरेडी श्री फकीर चन्द को यह कारण बताओ नोटिस भी देते हैं कि उपरोक्त सिद्ध आरोपों पर क्या उन्हें उन के पद से निष्कासित किया जाए । श्री फकीर चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत, भरेड़ी को जहां अपना पूर्ण चार्ज (यदि उनके पास कुछ हो) उप-प्रधान, ग्राम पंचायत, भरेड़ी को सौंप देंगे वह कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर-भीतर उपायुक्त शिमला के माध्यम से इस कार्यालय को भेज दें ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव/पंचायत ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।